संख्या-307/2021/1074/41-2021-03(सा0)/2020

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषयः- जनपद- मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी कॉरीडोर (परिक्रमा पथ) से लगे 04 प्रमुख मार्गों में से अति महत्वपूर्ण मार्ग कोतवाली गली (शेष भाग) का विस्तार किये जाने हेतु आगणित धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7171/6-1-1/(1072)/2019-20 दिनांक 10 मार्च2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक-1226/एसटी-न0म0-2021-मॉ विन्ध्यवासिनी कॉ0/ दिनांक 02 मार्च 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन रू0-27,62,96,680/- मात्र के क्रम में स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कॉरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश सं0- 252/2020/4113/41-2020-03 (सा0)/2020 दिनांक 03 नवम्बर 2020 निर्गत किया गया है तथा उक्त शासनादेश के अनुक्रम में विन्ध्यवासिनी मंदिर के आस-पास चारों ओर 50 फीट चौडाई वाले परिक्रमा पथ के अंदर आने वाली कुल 92 परिसम्पत्तियों एवं भूमि क्रय हेतु शासनादेश सं0-266/2020/4165/41-2020-03 (सा0)/2020 दिनांक 19-11-2020 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजी लेखामद में मद सं0-27 मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़ एवं शासनादेश सं0-267/2020/4165(2)/41-2020-03(सा0)/2020 दिनांक 19-11-2020 द्वारा मद सं0-36-विन्ध्याचल का पर्यटन विकास अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 20.00 करोड़ की धनराशि को जिलाधिकारी मीरजापुर के निवर्तन पर रखे जाने का आदेश निर्गत किया गया है। तदनन्तर शासनादेश सं0- संख्या-177/2021/510/41-2021-03(सा0)/2020 दिनांक 25 फरवरी 2021 द्वारा जनपद- मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी कॉरीडोर (परिक्रमा पथ) से लगे 04 प्रमुख मार्गों से संबंधित आवश्यक भूमि को क्रय करने एवं परिसम्पत्तियों को मुआविजा दिये जाने हेतु रू0-3370.61 लाख की एकमुश्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये उक्त धनराशि को भी जिलाधिकारी , मीरजापुर के निवर्तन पर रखा गया। तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा जनपद मीरजापुर में माँ विन्ध्यवासिनी कॉरीडोर (परिक्रमा पथ) से लगे 04 प्रमुख मार्गों में से अति महत्वपूर्ण मार्ग कोतवाली गली (शेष भाग) का विस्तार किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराया गया है कि माँ विन्ध्यवासिनी कॉरीडोर से जुड़े हुए 04 प्रमुख मार्गों से सम्बन्धित आगणित धनराशि की स्वीकृति हो चुकी है तथा इन मार्गों में से मात्र एक मार्ग कोतवाली गली जो 50 फिट परिक्रमा पथ से जुड़ा हुआ 100 फिट लम्बाई व 35 फिट चैड़ाई का प्रस्तावित आगणन स्वीकृत हो चुका है तथा प्राप्त आगणित धनराशि से प्रभावित व्यक्तियों से आपसी समझौते के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादित कराया जा रहा है । कोतवाली गली (शेष भाग) की महत्ता के दृष्टिगत इसका विस्तारीकण /चैड़ीकरण हनुमान तिराहे तक किया जाना आवश्यक है । कोतवाली गली में परिक्रमा पथ से जुड़ा 100 फिट लम्बाई के बाद (शेष भाग) हनुमान तिराहे तक कुल 447 मीटर लम्बाई में एवं 35 फिट चैडाई में मार्ग के विस्तारीकरण /चौडीकरण हेतु प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 मीरजापुर से तैयार कराया गया है । अतः आगणित धनराशि रू0 273548000/- तथा 01 प्रतिशत निबन्धन शुल्क रू0-2735480/- एवं प्रतिलिपि शुल्क रू0-80/-प्रति विक्रय पत्र (165×80) = अर्थात् रू0- 13200/- कुल योग रू0 276296680/-(रूपया सत्ताईस करोड़ बासठ लाख छानबे हजार छः सौ अस्सी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ताकि माँ विन्ध्यवासिनी कॉरीडोर परियोजना में परिक्रमा पथ से जुड़ा हुआ मार्ग कोतवाली गली (शेष भाग) के विस्तारीकरण / चौड़ीकरण का कार्य किया जा सके।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रायोजना हेतु रू0 276296680/-(रूपया सत्ताईस करोड़ बासठ लाख छानबे हजार छः सौ अस्सी मात्र) की एकमुश्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को जिलाधिकारी मीरजापुर के निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन रखा जाता हैः-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश दि0-18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत ही की गयी है।

(4) प्रायोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा- वित्तीय एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश आदि तथा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही वास्तविक देयता के आधार पर किया जायेगा तथा अप्रयुक्त अथवा अवशेष धनराशि को दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाया।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) निवर्तन पर रखी गई धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्तिच किया जायेगा।

(11) उक्त शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन महानिदेशक पर्यटन/पर्यटन निदेशालय के वित्त नियन्त्रक/सम्बन्धित अधिकारी एवं जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) निवर्तन पर रखे जाने का यह आदेश जिलाधिकारी मीरजापुर एवं महानिदेशक पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि उक्त सूचना/विवरण में कोई विसंगति या त्रुटि पयी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

(13) यह महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व मे किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा प्रस्तावित कार्यों में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(14) प्रायोजना के कार्य हेतु वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, पर्यटन का होगा एवं कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(16) प्रश्नगत आदेश महानिदेशक, पर्यटन एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव क्रम में निर्गत किया जा रहा है और यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित का ही होगा।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45- विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय-60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-658/दस-2021 दिनांक. 31 मार्च 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-307/2021/1074/41-2021-03(सा0)/2020 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डल आयुक्त ,विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4- जिलाधिकारी , मीरजापुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in